

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 455—477

Dated 27-3-2004

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2004

सा. का. नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (समूह “ग” और समूह “घ” पद) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में समूह “ग” और समूह “घ” पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय राजस्व अर्धनस्थ रसायन सेवा (समूह “ग” और समूह “घ” पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. विशेष उपबंध.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड :—

(क) यदि वह ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करें और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, केन्द्रीय राजस्व रसायन सेवा में (समूह “ग” और समूह “घ”) में किसी भी पद को, समान या तुल्य पद धारण किए हुए, किन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किसी अन्य विभाग या कार्यालय के काडर के व्यक्तियों में से, आमेलन द्वारा भरे जाने के लिए आदेश कर सकता है, और

(ख) यदि वह अनुकम्पा के आधार पर यह आवश्यक या समीचीन समझे और वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, यह आदेश कर सकता है कि केन्द्रीय राजस्व रसायन सेवा में ऐसा कोई पद जो इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किसी अन्य विभाग या कार्यालय में से समान या तुल्य या उच्चतर पद धारण किये हुए व्यक्तियों के आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

6. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के

अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	:	रसायन सहायक श्रेणी-2
2. पदों की संख्या	:	106 * (2004) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	5000-150-8000 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	21—30 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिये 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	(i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एम. एस.सी. या उसके समतुल्य (ii) रासायनिक विश्लेषण का एक वर्ष का अनुभव
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेतन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	सीधी भर्ती द्वारा

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती : लागू नहीं होता
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है : लागू नहीं होता
तो उसकी संरचना
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक : लागू नहीं होता।
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

2. 1 : उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-2

2 : 2* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय

4 : 5000-150-8000 रु.

5 : अचयन

6 : लागू नहीं होता

7 : लागू नहीं होता

8 : लागू नहीं होता

9 : लागू नहीं होता

10 : 2 (दो) वर्ष

11 : प्रोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत।

12 : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।

13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—

1. संयुक्त निदेशक

—अध्यक्ष

2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1

—सदस्य

3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2

—सदस्य

4. सहायक आयकर आयुक्त

—सदस्य

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14 : लागू नहीं होता।

3. 1 : आशुलिपिक श्रेणी-2

2 : 1* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय

4 : 5000-150-8000 रु.

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

2. अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।

9 : लागू नहीं होता

10 : 2 (दो) वर्ष

11 : प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

12 : प्रोन्नति :

ऐसे आशुलिपि श्रेणी-3 जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

13 : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति—

1. संयुक्त निदेशक

—अध्यक्ष

2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1

—सदस्य

3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2

—सदस्य

4. सहायक आयकर आयुक्त

—सदस्य

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14 : लागू नहीं होता।

4. 1 : आशुलिपिक श्रेणी-III

2 : 1* (2004)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय

4 : 4000-100-6000 रु.

5 : लागू नहीं होता

6 : लागू नहीं होता

7 : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8 : 1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

2. अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : 2 (दो) वर्ष
- 11 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
- 12 : लागू नहीं होता
- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : लागू नहीं होता
5. 1 : कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- 2 : 1* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3 : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचित
- 4 : 5000-150-8000 रु.
- 5 : लागू नहीं होता
- 6 : लागू नहीं होता
- 7 : 21-25 वर्ष
- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- 8 : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; अथवा
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य वैकल्पिक विषय रहा हो; अथवा
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; अथवा
- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य वैकल्पिक विषय रहा हो और साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम हैं।
- 9 : लागू नहीं होता
- 10 : दो वर्ष
- 11 : कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
- 12 : लागू नहीं होता
- 13 : लागू नहीं होता
- 14 : लागू नहीं होता
6. 1 : उच्च श्रेणी लिपिक

2. : 12*
(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय
4. : 4000-100-6000 रु.
5. : अचयन
6. : लागू नहीं होता
7. : लागू नहीं होता
8. : लागू नहीं होता
9. : लागू नहीं होता
10. : दो वर्ष
11. : प्रोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत
12. : ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. संयुक्त निदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1 | —सदस्य |
| 3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2 | —सदस्य |
| 4. सहायक आयकर आयुक्त | —सदस्य |

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14. : लागू नहीं होता
7. 1. : अवर श्रेणी लिपिक
2. : 10*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय
4. : 3050-75-3950-80-4590/- रु.
5. : लागू नहीं होता
6. : लागू नहीं होता
7. : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए निवृत्त की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

- 8 : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता
(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की कम से कम गति।
9. : हां, स्तम्भ 8 में उपदर्शित विस्तार तक
10. : दो वर्ष
11. : 1. 80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

2. 20 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द में से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने समूह 'घ' में पांच वर्ष नियमित सेवा की है परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष है)

टिप्पण:—(क) किसी विशिष्ट वर्ष की भरी न गई रिक्तियां अग्रणीत नहीं की जाएंगी

(ख) यदि खण्ड 2 के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या के संबंध में पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, इस प्रकार किसी पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन व्यक्तियों से पूर्व विचार किया जाए जो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

12. : जैसा कि स्तम्भ 11 में कथित है

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. संयुक्त निदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1 | —सदस्य |
| 3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2 | —सदस्य |
| 4. सहायक आयकर आयुक्त | —सदस्य |

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14. : लागू नहीं होता।

8. 1. : प्रयोगशाला सहायक—2

2. : 96*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अन्नसचिवीय

4. : 4000-100-6000/- रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : लागू नहीं होता

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

12. : ऐसे प्रयोगशाला सहायक—3 जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. संयुक्त निदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1 | —सदस्य |
| 3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2 | —सदस्य |
| 4. सहायक आयकर आयुक्त | —सदस्य |

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह 'क' अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14. : लागू नहीं होता।

9. 1. : प्रयोगशाला सहायक—3

2. : 117*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय

4. : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5. : लागू नहीं होता

6. : लागू नहीं होता

7. : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता।

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

12. : प्रोन्नति:—

ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिनके पास विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष अर्हता है और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है उनसे प्रोन्नति से पूर्व एक साक्षात्कार उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी।

13. : समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :—

1. संयुक्त निदेशक

—अध्यक्ष

2. रसायन परीक्षक श्रेणी-1

—सदस्य

3. रसायन परीक्षक श्रेणी-2

—सदस्य

4. सहायक आयकर आयुक्त

—सदस्य

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14. : लागू नहीं होता।

10. 1. : उपकरण निर्माता

2. : 1*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय

4. : 3200-85-4900 रु.

5. : लागू नहीं होता

6. : लागू नहीं होता

7. : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य या उपकरण यांत्रिकत्व/विद्युत इलेक्ट्रानिकी यांत्रिकी व्यवसाय में आई. टी. आई. सहित बोर्ड का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा।

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

12. : लागू नहीं होता

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता।

11. 1. : ड्राइवर

2. : 2*

(2004)

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसूचिवाय

4. : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5. : लागू नहीं होता

6. : लागू नहीं होता

7. : 21—30 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : आवश्यक —

(1) मोटरकार के चालन के लिए एक विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो।

(2) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान अभ्यर्थी को यान की सूक्ष्म त्रुटियों को दूर करने की योग्यता हो।

(3) मोटरकार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ड्राइविंग परीक्षण के माध्यम से ड्राइविंग में प्रवीणता।

वांछनीय :—

आठवाँ स्तर पास

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : सीधी भर्ती द्वारा

12. : लागू नहीं होता

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता।

958 Ptn/04-3

12. 1. : दफ्तरी
2. : 3*
(2004)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित
4. : 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.
5. : अचयन
6. : लागू नहीं होता
7. : लागू नहीं होता
8. : लागू नहीं होता
9. : लागू नहीं होता
10. : दो वर्ष
11. : 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
12. : ऐसे चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।
13. : समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. रसायन परीक्षक श्रेणी-1 | —अध्यक्ष |
| 2. रसायन परीक्षक श्रेणी-2 | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी | —सदस्य |
| 4. सहायक आयकर आयुक्त | —सदस्य |

जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

14. : लागू नहीं होता।
13. 1. : चपरासी
2. : 13*
(2004)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित
4. : 2550-55-2660-60-3200 रु.
5. : लागू नहीं होता
6. : लागू नहीं होता
7. : 18—25 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

वांछनीय :

8. : मिडिल स्तर
ऐसे होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और जो होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में बुनियादी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित हैं।

9. : लागू नहीं होता
 10. : दो वर्ष
 11. : 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
25 प्रतिशत आमेलन द्वारा
 12. : ऐसे फराश (चौकीदारों) सफाई वालों और अन्य समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्तों पर आमेलन द्वारा अर्थात् फराश, चौकीदारों, सफाई वालों और अन्य समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों में अपने-अपने पद पर कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो या पूर्वोक्त पदों पर सम्मिलित रूप में पांच वर्ष सेवा की हो और वे प्रारम्भिक रूप से साक्षर हो तथा उनको हिन्दी या अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता हो।
 13. : लागू नहीं होता
 14. : लागू नहीं होता।
-
14. 1. : फराश
 2. : 2* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित
 4. : 2550-55-2660-60-3200 रु.
 5. : लागू नहीं होता
 6. : लागू नहीं होता
 7. : 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
- टिप्पण :**— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8. : **वांछनीय:**
 - (i) प्राथमिक स्तर पास
 - (ii) ऐसे होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और जो होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में बुनियादी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित हैं।
 9. : लागू नहीं होता
 10. : दो वर्ष
 11. : सीधी भर्ती द्वारा।
 12. : लागू नहीं होता
 13. : लागू नहीं होता।
 14. : लागू नहीं होता।
15. 1. : चौकीदार
 2. : 3* (2004)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
 3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित
 4. : 2550-55-2660-60-3200 रु.
 5. : लागू नहीं होता

6. : लागू नहीं होता
7. : 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : **वांछनीय:**

(i) प्राथमिक स्तर पास

(ii) ऐसे होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और जो होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा में बुनियादी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित है।

9. : लागू नहीं होता
10. : दो वर्ष
11. : सीधी भर्ती द्वारा।
12. : लागू नहीं होता
13. : लागू नहीं होता
14. : लागू नहीं होता।
16. 1. : सफाई वाला
2. : 3* (2004)
- * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित
4. : 2550-55-2660-60-3200 रु.
5. : लागू नहीं होता
6. : लागू नहीं होता
7. : 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (जो अंदमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न हैं।) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8. : **वांछनीय:**

प्राथमिक स्तर पास

9. : लागू नहीं होता
10. : दो वर्ष
11. : सीधी भर्ती द्वारा।
12. : लागू नहीं होता
13. : लागू नहीं होता
14. : लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12034/85/98-प्रशा-III (बी)]

एस० के० ठाकुर, अवर सचिव (प्रशासन-III)

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2004

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Revenues Control Laboratory (Group "C" and Group "D" posts) Recruitment Rules, 1991, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Central Revenues Control Laboratory, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" and Group "D" Posts) Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule annexed to these rules.

5. Special provisions.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Board of Excise & Customs may,

(a) if it considers it is necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, order any post (Group "C" and Group "D") in the Central Revenues Chemicals Service to be filled by absorption from persons holding the same or comparable post but belonging to the cadre of another department or office under the Central Board of Excise & Customs; and

(b) if it considers it is necessary or expedient on compassionate grounds, order, for reasons to be recorded in writing, that a post in the Central Revenues Chemicals Service which is to be filled by direct recruitment under these rules shall be filled by absorption or deputation of a person holding the same or comparable or higher post from any other Department or Office under the Central Board of Excise & Customs, subject to such conditions as it may specify, having regard to the circumstances of the case.

6. Initial Constitution.—

(A) **Laboratory Assistant Grade-II.**—(i) Any person, who holds a post of Upper Division Clerk (UDC) (Stores) (3 posts) and the Laboratory Attender (93 posts) on regular basis at the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed as Laboratory Assistant Grade-II specified in Column (1) at Serial No. 8 of the Schedule annexed to these rules and the services so rendered by him before commencement of these rules shall be taken into account for deciding eligibility for promotion to the next higher grade.

(ii) UDC (Stores) (Rs. 4000—6000) shall be placed en-block senior followed by Laboratory Attenders (Rs. 3050—4590).

(B) **Laboratory Assistant Grade-III.**—(i) Any person who holds a post of Laboratory Clerk (17 posts) and the Laboratory Attenders (100 posts) on regular basis at the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed as Laboratory Assistant Grade-III specified in Column (1) at Serial No. 9 of the Schedule annexed to these rules and the services so rendered by him before commencement of these rules shall be taken into account for deciding eligibility for promotion to the next higher grade.

(ii) Laboratory Clerks (Rs. 3200—4900) shall be placed en-block senior followed by Laboratory Attender (Rs. 3050-4590).

7. Disqualification.—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

958 Final

(b)* who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, except any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|--|---|
| 1. Name of post | : Chemical Assistant Grade II |
| 2. Number of posts | : 106* (2004)
*Subject to variation dependent on workload. |
| 3. Classification | : General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial |
| 4. Scale of pay | : Rs. 5000-150-8000 |
| 5. Whether Selection or Non-Selection post | : Not applicable |
| 6. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | : Not applicable |
| 7. Age limit for direct recruitment | : 21—30 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) |
| <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p> | |
| 8. Educational and other qualifications required for direct recruits | : (i) M. Sc. in Chemistry of an Indian University or its equivalent.
(ii) One year experience of chemical analysis. |
| 9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | : Not applicable |
| 10. Period of probation, if any | : Two years |
| 11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods | : By direct recruitment. |
| 12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made | : Not applicable |

13. If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition : Not applicable
14. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment : Not applicable.
2. 1. : Deputy Office Superintendent Level-II
2. : 2* (2004)
- *Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. : Rs. 5000-150-8000
5. : Non-selection
6. : Not applicable
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : Two years
11. : 100% by promotion
12. : Upper Division Clerk with 7 years regular service in the grade
13. : **Group 'C' Departmental Promotion Committee :**
1. Joint Director —Chairman
2. Chemical Examiner Grade I —Member
3. Chemical Examiner Grade-II —Member
4. Assistant Commissioner of Income Tax —Member
- Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.
14. : Not applicable.
3. 1. : Stenographer Grade-II
2. : 1* (2004)
- *Subject to variation dependent on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. : Rs. 5000-150-8000
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).
- Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
8. : (i) Matriculation or equivalent
- (ii) A speed of 100 words per minute in English or Hindi Shorthand and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi Typewriting.
9. : Not applicable
10. : 2 years

11. : By promotion failing which by direct recruitment.

12. **Promotion :**

Stenographers Grade III with 5 years regular service in the grade.

13. **Group "C" Departmental Promotion Committee :**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Joint Director | —Chairman |
| 2. Chemical Examiner Grade-I | —Member |
| 3. Chemical Examiner Grade-II | —Member |
| 4. Assistant Commissioner of Income Tax | —Member |

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.

14. : Not applicable.

4. 1. : Stenographer Grade-III

2. : 1* (2004)

*Subject to variation dependent on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Not applicable

6. : Not applicable

7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : (i) Matriculation or equivalent

(ii) A speed of 80 words per minute in English or Hindi Shorthand and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting.

9. : Not applicable

10. : 2 years

11. : By direct recruitment through Staff Selection Commission.

12. : Not applicable

13. : Not applicable

14. : Not applicable.

5. 1. : Junior Hindi Translator

2. : 1* (2004)

*Subject to Change depending on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. : Rs. 5000-150-8000

5. : Not applicable

6. : Not applicable

7. : 21-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : M.A. in Hindi/English of a recognised University with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at Degree level or M.A. of a recognized University in any subject with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and other as a compulsory/elective subject at Degree level or M.A. of a recognized University in any subject with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subjects or as medium of examination at Degree level or Bachelor's Degree of a recognized University with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and other as a compulsory/elective subject, plus a recognized Diploma/certificate course in Translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government offices including Government of India undertakings.
9. : Not Applicable
10. : 2 years
11. : By direct recruitment through Staff Selection Commission.
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable.
6. 1. : Upper Division Clerk
2. : 12* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. : Rs. 4000-100-6000
5. : Non-Selection
6. : Not applicable
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : 100% by promotion
12. : Lower Division Clerk with 5 years regular service in the grade.
13. : **Group "C" Departmental Promotion Committee:**
 1. Joint Director — Chairman
 2. Chemical Examiner Grade I — Member
 3. Chemical Examiner Grade-II — Member
 4. Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.
14. : Not applicable.
7. 1. : Lower Division Clerk
2. : 10* (2004)
*Subject to change depending on workload.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590.
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognized University or Board.
(ii) Minimum speed of 30 words per minute in English typing or 25 words per minute in Hindi typing.
9. : Yes, to the extent indicated in Column 8.
10. : 2 years
11. : 1. 80% By direct recruitment through Staff Selection Commission.
2. 20% posts shall be filled up from amongst the Group "D" staff who possess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered five years regular service in Group "D" on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates).

Note : (a) Unfilled posts pertaining to a particular year shall not be carried over.

(b) If more of such employees than the number of posts available under clause (2) qualifying at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the posts arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

12. : As stated in column 11

13. : **Group "C" Departmental Promotion Committee:**

- | | |
|---|------------|
| 1. Joint Director | — Chairman |
| 2. Chemical Examiner Grade I | — Member |
| 3. Chemical Examiner Grade-II | — Member |
| 4. Assistant Commissioner of Income Tax | — Member |

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.

14. : Not applicable.
8. : 1. : Laboratory Assistant-II
2. : 96* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. : Rs. 4000-100-6000
5. : Non-Selection
6. : Not applicable
7. : Not applicable
8. : Not applicable

9. : Not Applicable
10. : 2 years
11. : 100% by promotion
12. : Laboratory Assistant-III with 5 years regular service in the grade.
13. : **Group "C" Departmental Promotion Committee :—**
 1. Joint Director — Chairman
 2. Chemical Examiner Grade I — Member
 3. Chemical Examiner Grade-II — Member
 4. Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.

14. : Not Applicable
9. 1. : **Laboratory Assistant-III**
2. : 117* (2004)
3. : *Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : Matriculation with Science or equivalent qualification from a recognized University or Board.
9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : Ninety per cent by direct recruitment
- 10 per cent by promotion failing which by direct recruitment.

12. : **Promotion :**

From amongst Group 'D' employees who have passed the Matriculation with Science or equivalent qualification with 5 years regular service in the grade and are below 45 years of age. They shall be required to pass through an interview before promotion.

13. : **Group "C" Departmental Promotion Committee :—**
 1. Joint Director — Chairman
 2. Chemical Examiner Grade I — Member
 3. Chemical Examiner Grade-II — Member
 4. Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.

14. : Not applicable
10. 1. : **Instrument Maker**
2. : 1* (2004)
- *Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. : Rs. 3200-85-4900
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).
- Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
8. : Matriculation or equivalent from recognized University or Board with ITI Certificate or Diploma in Instrument Mechanism/Electrical/Electronics/Mechanical trade.
9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : 100% by direct recruitment
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable
11. 1. : **Driver**
2. : 2* (2004)
- *Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590.
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 21-30 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).
- Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
8. : **Essential :**
- (i) Possession of a valid licence for motor car.
- (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles).
- (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years.
- Driving proficiency to be tested through a Driving test.
- Desirable :**
- 8th Standard Pass.
9. : Not applicable
10. : 2 years

11. : By direct recruitment
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable
12. 1. : **Daftry**
2. : 3* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted
4. : Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000
5. : Non-Selection
6. : Not applicable
7. : Not applicable
8. : Not applicable
9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : 100% by promotion.
12. : Peons with two years regular service in the grade.
13. : **Group "D" Departmental Promotion Committee :—**
 1. Chemical Examiner Grade I — Chairman
 2. Chemical Examiner Grade-II — Member
 3. Administrative Officer — Member
 4. Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Where none of the members above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.
14. : Not applicable
13. 1. : **Peon**
2. : 13* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted
4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).
- Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
8. : Middle Standard

Desirable :

958 Pn/07

Home Guards and Civil Defence Volunteers who have rendered at least 3 years service and are trained in Basic/Refresher course in Home Guards and Civil Defence.

9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : 75% by direct recruitment
25% by Absorption
12. : By absorption of Farash, Chowkidars, Safaiwalas and holders of other equivalent posts, subject to the following conditions, namely :

The Farash, Chowkidars, Safaiwalas and holders of other equivalent posts should have rendered at least five years regular service in the respective post or combined service of five years in the aforesaid posts and possess elementary literacy and ability to read either Hindi or English or regional language.
13. : Not applicable
14. : Not applicable
14. 1. : **Farash**
2. : 2* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted
4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
8. : **Desirable :**
(i) Primary Standard Pass
(ii) Home Guards and Civil Defence Volunteers who have rendered at least 3 years service and are trained in Basic/Refresher course in Home Guards and Civil Defence.
9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : By direct recruitment
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable.
15. 1. : **Chowkidar**
2. : 3* (2004)
*Subject to change depending on workload.
3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted

4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : **Desirable :**

- (i) Primary Standard Pass
- (ii) Home Guards and Civil Defence Volunteers who have rendered at least 3 years service and are trained in Basic/Refresher course in Home Guards and Civil Defence.

9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : By direct recruitment
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable.

16. 1. : **Safaiwala**

2. : 3* (2004)

*Subject to change depending on workload.

3. : General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted
4. : Rs. 2550-55-2660-60-3200
5. : Not applicable
6. : Not applicable
7. : 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years and for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8. : **Desirable :**

Primary Standard Pass

9. : Not applicable
10. : 2 years
11. : By direct recruitment
12. : Not applicable
13. : Not applicable
14. : Not applicable.

[F. No. A-12034/85/98-Ad. III(B)]

S. K. THAKUR, Under Secy. (Admn. III)